राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
(राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक प. 10(984) परि/स.सु./संचालन समिति/2022/13696- दिनांक 20-6-22

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

स्वीकृति संख्या 14/2022—23

वित्तीय वर्ष 2022—23 में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संचालन समिति की दिनांक 27.05.2022 को आयोजित प्रथम बैठक में, अनुमोदित निम्नलिखित सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु **राशि रू. 200.00 लाख** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :—

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	एजेन्सी	टारगेट ग्रुप	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)
1.	सार्वजनिक सेवायानों के लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस एवं आपात बटन की अनिवार्यता की पालना (निर्भया) चालू वित्तीय वर्ष में राशि रू. 200.00 लाख की आवश्यकता।	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग	आमजन	200.00
	योग			**200.00**

(अक्षरे रू. दो करोड़ मात्र)

उक्त राशि समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के निम्नांकित लेखा मद से आहरित की जावेगी :—

मांग संख्या 12

3055 — सड़क परिवहन

00 —

800 — अन्य व्यय

(08) — समर्पित सड़क सुरक्षा निधि

[01] — परिवहन विभाग के माध्यम से

62 — कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय (राज्य निधि)

उक्त स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन जारी की जा रही है कि उक्त गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभाग के पास उनके नियमित बजट मदों/अन्य किसी योजना में बजट प्रावधान उपलब्ध नही है। आवंटित राशि का उपयोग सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित उपरोक्त गतिविधि के लिए ही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा इससे सम्बन्धित उपापन (Procurement) हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम—2012 एवं पारदर्शिता नियम—2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक प. 10(984) परि/स.सु./संचालन समिति/2022/13697-705 दिनांक 20-6-22
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. अपर परिवहन आयुक्त, नियम/आई.टी.।
8. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)